उत्तर प्रदेश सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग, लखनऊ
अनुभाग–2
अधिसूचना
4 जुलाई, 1996 ई0

सं0 2139/60–2–96/2/1 (1)–91 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने का लिए निम्नलिखित नियमों वाली बनाते हैं –

उत्तरांचल, बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 कही जायेगी।

भाग एक– सामान्य

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) यह नियमावली उत्तराचंल बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह "क" और ख") सेवा नियमावली, 1996 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह "क" और ख") सेवा एक ऐसी है जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट है।

3– परिभाषाएं– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" (मुख्यालय), सहायक निदेशक और जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद के सम्बन्ध में राज्यपाल से है, अनुभाग अधिकारी के पद के सम्बन्ध में सचिव से है और बाल विकास परियोजना अधिकारी और निदेशक के वैयक्तिक सहायक के पद के सम्बन्ध में निदेशक से है,

(ख) "पिछडे वर्गों" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिदिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है,

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय,

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है,

(ड) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(च) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तरांचल से है,

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है,

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल प्रदेश के राज्यपाल से है,

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ण) "सचिव" का तात्पर्य उत्तरांचल, बाल विकास विभाग में सरकार के सचिव से है,

(ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल, बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा से है,

(ठ) " मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के सर्म्बग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेश द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,

(ड़) " भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग–दो– संवर्ग

4– सेवा का संवर्ग – (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय

(2) जबतक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी प्रशिष्ट में दी गयी है :

परनतु –

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(2) राज्य पाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का श्रृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग – तीन– भर्ती

5– भर्ती का श्रोत – सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :–

(क) अपर परियोजना प्रबन्धक / कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय) – मौलिक रूप से नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, नदोन्नति द्वारा।

(ख) सहायक निदेशक– मौलिक रूप में नियुक्त अनुभाग अधिकारियों, कार्यालय अधीक्षक श्रेणी–दो और वैयक्तिक सहायकों में ये जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा।

(ग) जिला कार्यक्रम अधिकारी

(एक) पचास प्रतिशत सीधी द्वारा

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्र प्रतिवेदकों / पोषणविदों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु पचास में से केवल एक रिक्त क्षेत्र प्रतिवेदकों / पोषणविदों में से भरी जायेगी।

(घ) अनुभाग अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षक श्रेणी–दो और प्रवर वर्ग सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ड़) बाल विकास– विकास परियोजना अधिकारी (एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप में नियुक्त अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से और ऐसे अधिकारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, मौलिक रूप से नियुक्त पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में वारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(च) अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी–मौलिक नियुक्त पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(छ) निदेशक के वैयक्तिक सहायक–मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक कनिष्ठ वेतनमान और आशु लिपिक ज्येष्ट वेतनमान में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

6– आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हतायें

7– राष्ट्रीयता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो ;

(ख) तिब्बतीय शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया; युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्नजानियां (पूर्ववर्तीय तांगनिका और जंजीबर) प्रब्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जयेगा कि वह भारत की नगरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षातकार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जये।

8– शैक्षिक अर्हतायें –सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक हैं –

पद	अर्हतायें
जिला कार्यक्रम अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से समाज शात्र या समाज–विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
बाल विकास परियोजना अधिकरी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

9– अधिमानीय अर्हतायें – अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसें अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिससे

(एक) ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।

(दो) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10– आयु सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय

11– चरित्र–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिये उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी – सघं सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12– वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी। जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशष कारण विद्यमान है

13– शारीरिक स्वास्थता – किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जबतक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। और व किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावाना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये

जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षा उतीर्ण कर ले:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी की स्थिति में चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा परीक्ष की आवश्यकता नहीं होगी ।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों का अवधाराण–नियुक्ति प्राधिकाकरी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कही जाने वाली रिक्तियों को संख्या भी अवधारित करेगा । आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां उनको सूचित की जायेंगी ।

15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी और विज्ञापन में विहित प्रपत्र में आमंतित्रत किए जायंगे ।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्ष में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी सख्या में अभ्यर्थियों को साक्षत्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षत्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उसकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षत्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम या यदि वे लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। अयोग ससूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया – (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येठकता के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गो में से प्रत्येक का व्यक्ति समिमलि त न हो तो ऐसी जातियों /जनजातियों और वर्गो के जिनका चयन समिति कमें प्रतिनिधित्व न हो ऐसे एक अधिकारों को जो सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का हो चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2)–नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उससे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा

परन्तु जहॉ किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक सर्म्बग से की जानी हो तो व्यक्तियों के नामों को पात्रता के क्षेत्र में उनके अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के द्वारा यथा अवधारित ज्येष्टा के क्रम में रख कर और जहॉ दो या अधिक व्यक्ति इस रूप में एक ही दिनांक को नियुक्त हुये हों तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को सूची में ऊपर रखते हुये पात्रता सूचयां तैयार की जायेगी। नामों को इस प्रकार रखते समय समान पद धारण करने वाले व्यक्तियों को परस्पर ज्येष्ठता बाधित नहीं की जायेगी :

परनतु यह और कि जहॉ पोषक संर्बग में पद निम्न वेतनमान में हो तो उच्चतर वेतनमान धारण करने वाले व्यक्ति के नाम पात्रता सूची में पहले रखे जायेंगे। और निम्न वेतनमान धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके बाद रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे मो अभर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17– संयुक्त चयन समिति – यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिये जायेंगे कि निहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः – नियुक्ति, परीवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18– नियुक्ति–उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथा स्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियों करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्यैठता क्रम में किया जायेगा जैसी कि यथा स्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखा जायेगा।

(3) यदि किसी परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का समुचित उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके संबंधित पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और " यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो" तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) वह परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन या अस्थाई रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ किये जाने की अनुमति दे सकता है।

20– स्थाई करण – (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा। यदि ;

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(ख) उसी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थाई करण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम पांच के उपनियम (3) के अधीन यह घोषण करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति की ऐसी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थाईकरण का आदेश समझा जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए गये है :–

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान
1	अपर परियोजना प्रबन्धक	2350–75–2800– द0 रो0– 100 – 4300 रूपये।
2	कार्यक्रम अधिकारी मुख्यालय	3000–100–3500–125 –4500 रूपये।
3	सहायक निदेशक	2200–75–2800– द0 रो0– 100– 4000 रूपये।
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी	2200–75–2800– द0 रो0– 100– 4000 रूपये।
5	अनुभाग अधिकारी	2000–60– 2300–द0 रो0– 75– 3200–100 – 3500 रूपये।
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी	1600–50– 2300– द0 रो0–60–2660 रूपये।
7	अपर बाल विकास परियोजना अधिकरी	1600–50– 2300– द0 रो0–60–2660 रूपये।
8	निदेशक का वैयक्तिक सहायक	2000–60–2300–द0 रो0–75–3200 रूपये।

23– परिवीक्षा अवधि में वेतन– (1) फन्डामेन्टर रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षााधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और स्थाई भी कर दिया गया हो

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फान्डमेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतयः लागू सुसंगत सेवा नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24– दक्षता रोप पर करने का मापदंड– किसी व्यक्ति को दक्षता रोप पर करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय। और उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित न कर ली जाय।

भाग –आठ अन्य उपवन्ध

25– पक्ष समर्थन– किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिसों से भिन्न किन्ही सिफारिसों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्येक्ष या अप्रत्येक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

26– अन्य विषयों का विनियमन– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य क कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27– सेवा की शर्तों में सिथिलता– जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं की उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याया संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें अभिमुक्त या सिथिल कर सकती है :

परन्तु जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या सिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श लिया जायेगा।

28– व्यावृद्धि– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशष श्रेणी के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखिये]

क्रम-संख्या	पदों का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	अपर परियोजना प्रबन्धक	..	..	5
2	कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय)	..	..	1
3	सहायक निदेशक	..	..	1
4	[illegible] कार्यक्रम अधिकारी	..	..	34
5	अनुभाग अधिकारी	..	..	1
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी	..	..	313
7	अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी	..	..	40
8	निदेशक का वैयक्तिक सहायक	..	..	1

आज्ञा से,
(ह0) अस्पष्ट,
सचिव।

—राजपत्र, दिनांक 7-9-96, भाग 1-क में प्रकाशित।
प्रति सूचनार्थ प्रेषित—]
0यू0पी0—1 सा0 (महिला एवं बाल विकास)—6-9-96—1,000 (मोनो)।